दुर्गेश बनाम राज्य सरकार
प्रकरण संख्याः– 113/2024 (प्रा0पत्र)
आदेश दिनांकः–30/07/2025

निर्णय बइजलास अर्चना चौधरी, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द (राजस्थान)

प्रकरण सख्या :– 113/2024 प्रार्थनापत्र
दायर दिनांक :– 07/10/2024
निर्णय दिनांक :– 30/07/2025

अनवान

1. दुर्गेश कुमार सेन पिता शम्भुलाल सेन जाति सेन निवासी ताल, तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द हाल नि0 सैशन कोर्ट के पास भीलवाडा

प्रार्थी

बनाम

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार देवगढ़ जिला राजसमन्द

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सी0पी0सी

: : निर्णय : :

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सी0पी0सी का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आप न्यायालय में मुझ प्रार्थी व नवरतनमल सेन पिता शम्भुलाल सेन, चान्दमल पिता शम्भुलाल सेन नि० ताल, तह. देवगढ ने सयुक्त रूप से धारा 136 राज. भु. अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। जिसके मुकदमा नं. 271/2016 प्रा.पत्र होकर अनवान नवरतनमल बनाम राज्य सरकार था। उक्त प्रकरण का निस्तारण दिनांक 30/06/2016 को हुआ। पेरा संख्या 01 में प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि ग्राम कालागुन पटवार हल्का ताल के आराजी संख्या 1017/2 रकबा, ' 1–11 बीघा, आराजी नं. 1085/1 रकबा 1.05 बीघा तथा ग्राम ताल पटवार हल्का ताल के आराजी न. 219 रकबा 0.19 बीस्वा एवं आराजी नं. 220 रकबा 0.15 बिगा के मालिक है, ग्राम कालागुन में स्थित भुमि में राजस्व रिकॉर्ड में नारमल, चतादमल, मनुमल पिता शम्भुलाल नाई दर्ज है। जबकी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नारमल का वास्तविक नाम नवरतनमल, चतादमल का वास्तविक नाम चांदमल तथा मनुमल का वास्तविक नाम दुर्गेश कुमार है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत ताल में

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

स्थित भुमि के राजस्व रिकॉर्ड में नोरतन, चांदमल, राजुमल पिता शम्भुलाल नाई के नाम दर्ज है। जबकि नोरतन का वास्तविक नाम नवरतनमल, राजुमल का वास्तविक नाम दुर्गेश कुमार है। सेटलमेन्ट पश्चात ग्राम ताल में स्थित भुमियो के नये खसरा नं. 215 व 216 है व गांव कालागुन में स्थित भुमियो के नये खसरा नम्बर 1586 व 1675 है। प्रार्थीगण ने उक्त प्रकरण में शुद्धि हेतु दस्तावेज भी प्रस्तुत किये थे। प्रार्थीगण के वास्तविक दस्तावेजी नामो को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने हैतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जो आप न्यायालय द्वारा स्वीकार हुआ। आप न्यायालय द्वारा लिखित निर्णय में लेखन में त्रुटि हो गयी। राजस्व ग्राम ताल भुमि में नवरतनमल व चान्दमल के नाम में शुद्धि पत्र हो गया लेकिन लिपिक की त्रुटि के कारण राजुमल का नाम दुर्गेश कुमार नहीं हो सका, साथ ही कालागुन पटवार हल्का ताल की भूमि में भी नवरतनमल व चांदमल का नाम शुद्धि हो गया लेकिन मनुमल का नाम लिपिक भुल के कारण दुर्गेश कुमार का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन होने से रह गया। इस प्रकार नवरतनमल, चान्दमल व दुर्गेश कुमार के संयुक्त रूप से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में नवरतनमल, चान्दमल का नाम शुद्वी हो गया लेकिन लिपिकीय भुल के कारण दुर्गेश कुमार का नाम शुद्धि होने से रह गया क्योकी निर्णय में लिपीकिय त्रुटि के कारण दुर्गेश कुमार का हवाला/उल्लेख रह गया। जिसे न्यायहित में सही किया जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेज संलग्न है। उक्त दस्तावेजो के आधार पर प्रार्थी का नाम उपरोक्त आराजियात में दुर्गेश कुमार किया जाना न्यायहित में आवश्क है। उपरोक्त निर्णय में लिपिकिय भुल/त्रुटी हुई हे जिसे न्यायहित में सही किया जावे। वर्तमान जमाबंन्दी की प्रति निकलवाई तो पता चला की चान्दमल व नोरतनमल का नाम सही हो गया व मुझ प्रार्थी का नाम सही नहीं हुआ इस कारण जानकारी मिलते ही प्रार्थना पत्र आपके समक्ष प्रस्तुत है। अतः श्रीमान् से निवेदन है की उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाते हुयें पेरा संख्या 02 में अंकित भुमियो में राजुमल व मनुमल की बजाय दुर्गेश

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

कुमार नाम का अंकन कराया जावे। पेरा संख्या 01 में अंकित निर्णय में शुद्वि जारी कि जावे। ताईद मे शपथपत्र पेश है।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी पैरोकार सरकार को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार की ओर से ग्राम ताल पटवार हल्का ताल के खाता संख्या 75 खसरा संख्या 215, 216 कुल किता 02 कुल रकबा 0.3600 हैक्टेयर एवं राजस्व ग्राम कालागुन पटवार हल्का ताल तहसील देवगढ़ के खाता संख्या 149 खसरा संख्या 1586, 1675 कुल किता 02 कुल रकबा 0.5700 हैक्टेयर भूमि में राजुमल एवं मनुमल के स्थान पर दुर्गेश कुमार राजस्व रिकॉर्ड में जरिये इन्द्राज शुद्धि करने पर मौखिक सहमति प्रदान की।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि राजस्व रिकॉर्ड में शुद्धि किया जाना न्याय हित में आवश्यक है प्रार्थी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि ग्राम कालागुन में स्थित भुमि में राजस्व रिकॉर्ड में नारमल, चतादमल, मनुमल पिता शम्भुलाल नाई दर्ज है। जबकी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नारमल का वास्तविक नाम नवरतनमल, चतादमल का वास्तविक नाम चांदमल तथा मनुमल का वास्तविक नाम दुर्गेश कुमार है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत ताल में स्थित भुमि के राजस्व रिकॉर्ड में नोरतन, चांदमल, राजुमल पिता शम्भुलाल नाई के नाम दर्ज है। जबकि नोरतन का वास्तविक नाम नवरतनमल, राजुमल का वास्तविक नाम दुर्गेश कुमार है। सेटलमेन्ट पश्चात ग्राम ताल में स्थित भुमियो के नये खसरा नं. 215 व 216 है। लोक अदालत/कोर्ट कैम्प के दौरान प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में शुद्धि की गई। राजस्व ग्राम ताल भुमि में नवरतनमल व चान्दमल के नाम में शुद्धि पत्र हो गया लेकिन लिपिक की त्रुटि के कारण राजुमल का नाम दुर्गेश कुमार नहीं हो सका, साथ ही कालागुन पटवार हल्का ताल की भूमि में भी नवरतनमल व चांदमल का नाम शुद्धि हो गया लेकिन मनुमल का नाम लिपिक भुल

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

के कारण दुर्गेश कुमार का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन होने से रह गया। इस प्रकार नवरतनमल, चान्दमल व दुर्गेश कुमार के संयुक्त रूप से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में नवरतनमल, चान्दमल का नाम शुद्वी हो गया लेकिन लिपिकीय भुल के कारण दुर्गेश कुमार का नाम शुद्धि होने से रह गया क्योकी निर्णय में लिपीकिय त्रुटि के कारण दुर्गेश कुमार का हवाला/उल्लेख रह गया। भूमि पर प्रार्थी काबिज होकर उपयोग–उपभोग कर रहे हैं। राजस्व रिकॉर्ड त्रुटिपूर्ण इन्द्राज को शुद्ध किया जाना न्याय हित में आवश्यक है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटिपूर्ण इन्द्राज को दुरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 152 सी0पी0सी के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम ताल पटवार हल्का ताल के खाता संख्या 75 खसरा संख्या 215, 216 कुल किता 02 कुल रकबा 0.3600 हैक्टेयर एवं राजस्व ग्राम कालागुन पटवार हल्का ताल तहसील देवगढ़ के खाता संख्या 149 खसरा संख्या 1586, 1675 कुल किता 02 कुल रकबा 0.5700 हैक्टेयर भूमि में राजुमल एवं मनुमल के स्थान पर दुर्गेश कुमार राजस्व रिकॉर्ड में जरिये इन्द्राज शुद्धि अंकन किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 30/07/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

(अर्चना चौधरी, R.A.S.)
सहायक कलेक्टर, देवगढ़
जिला राजसमन्द

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला राजसमन्द